सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 09 फाल्गुन, 1943 (श०)
28 फरवरी, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1) सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	02
(2) निगरानी विभाग	.. ..	01
(3) गृह विभाग	.. ..	05
	कुल योग --	08

औचित्य बतलाना

1. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 17 जनवरी, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "बिहार की जेलों में क्षमता से 19638 कैदी ज्यादा" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 59 जेलों में 46 हजार 669 कैदियों के रहने की क्षमता है जबकि दिसम्बर, 2021 तक इनमें 66 हजार 307 कैदी बन्द थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के आदर्श कारा बेउर, पटना, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, छपरा सहित 13 जेलों में क्षमता से लगभग 200 गुणा ज्यादा कैदी बंद है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रहने के कारण उन्हें आवश्यक सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के रखने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

'क'-2. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 जनवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "राज्य के 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लटका अभियोजन" समाचार को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण भ्रष्टाचारियों के मामले में निगरानी विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग डोजियर भी सौंपा गया है लेकिन उसके बाद भी अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अभियोजन की स्वीकृति देकर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

3. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 जून, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "सूबे में एक लाख 96 हजार आपराधिक मामलों की जाँच लम्बित" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिस थानों में 1 लाख 96 हजार 4 कांड निष्पादन के लिये लम्बित हैं जिनमें से 305 कांडों का अनुसंधान 20 वर्षों के बाद भी अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आपराधिक मामलों के लम्बे समय तक लम्बित होने के कारण जनता को न्याय मिलने में विलम्ब होता है, जिससे उनमें असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लम्बे समय तक इतने आपराधिक मामलों के जाँच को लम्बित रखने का क्या औचित्य है ?

पदोन्नति देना

4. श्री समीर कुमार महासेठ(क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कर्मियों की पदोन्नति पर अभी रोक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2022 को आदेश पारित किया गया है कि उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व का सही आँकड़ा जुटाकर ही राज्य अपने स्तर से पदोन्नति में आरक्षण का मापदंड तय करें ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व का आँकड़ा अविलम्ब जुटाकर राज्यकर्मियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट-'क'-सामान्य प्रशासन विभाग से निगरानी विभाग में स्थानांतरित ।

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2022 की कंडिका 29 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कार्यरत कर्मियों के मात्रात्मक आँकड़े उपलब्ध कराने हेतु विभागीय परिपत्र संख्या 1146, दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा राज्य के सभी विभागों से अनुरोध किया गया है। सभी विभागों से यथावाँछित आँकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं। विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 629/2022 एवं अन्य सम्बद्ध मामलों की सुनवाई के लिये दिनांक 24 फरवरी, 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किये गये आँकड़ों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2022 को पारित आदेश के अनुरूप प्रोन्नति के संबंध में विधिसम्मत् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

औचित्य बतलाना

5. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र के आलोक में दिनांक 7 जुलाई, 2021 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "क्राइम रिकार्ड को ऑनलाइन करने में बिहार पिछड़ा" क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अभीतक मात्र 57 प्रतिशत थानों में ही कम्प्यूटर लगे हैं, जिससे क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट में बिहार काफी पिछड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में शुरू की गई इस योजना का कार्य 2021 तक पूर्ण नहीं किया जा सका है, जिससे अपराधियों का ऑनलाइन रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस योजना के लिये आवंटित राशि का मात्र 14.7 प्रतिशत ही अभीतक व्यय किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त योजना कार्य को अबतक पूरा नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

6. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "सम्पत्ति जब्ती के 5400 प्रस्ताव लम्बित" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शराब की अवैध बिक्री, तस्करी एवं भंडारण के आरोप में पकड़े गये अभियुक्तों के मकान, दुकान, गोदाम एवं गाड़ियाँ आदि जब्त किये जाने से संबंधित 5222 मामले पुलिस के पास लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारियों के पास अभीतक नहीं भेजा गया है एवं जब्ती संबंधी ठोस एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये जब्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

7. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''लुटेरे से ज्यादा बाइक चोरों ने मचाया आतंक'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य जिलों को छोड़कर केवल राजधानी पटना में वर्ष 2021 में लूट की 151, हत्या के 170 तथा नवम्बर माह में बाइक चोरी के 5 हजार 207 मामले आये हैं जबकि 90 प्रतिशत चोरी की बाइक का पता लगाने में पटना पुलिस असफल साबित हुई है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के राजधानी सहित अन्य जिलों में हो रही लूट, हत्या एवं बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगों को आरक्षण देना

8. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन (क्षेत्र संख्या-145 साहेबपुर कमाल)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डब्लू0 पी0 (सीविल) नम्बर 512/2008 एवं सीविल अपील नम्बर 59/2008 एवं सीविल अपील नम्बर 59/2021 में ग्रुप 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में दिव्यांगो को आर0 पी0 डब्लू0 डी0 ऐक्ट, 2016 के तहत 3 प्रतिशत नियुक्ति में आरक्षण मिलने के तहत तथा ग्रेड 'ए' एवं 'बी' के कर्मियों को प्रोन्नति में भी 3 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय दिया है, किन्तु इसे आजतक राज्य में लागू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दिव्यांग कर्मियों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु प्रावधान आर0 पी0 डब्लू0 डी0 ऐक्ट, 2016 के तहत करने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 फरवरी, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 79(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550